



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

1875

क्रमांक एफ.2()परावि/प्रशा.1/स्थाना./पदस्था/एपीओ/संस्था/2016/

जयपुर, दिनांक:- 6/9/16

-: आदेश :-

श्री घीसाराम बामनियां, विकास अधिकारी पंचायत समिति कोटडा जिला उदयपुर की विकास अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर ली गयी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाकर इनके पैतृक विभाग (शिक्षा विभाग) को लौटायी जाती है।

श्री बामनिया विकास अधिकारी के पद का कार्यभार विभागीय परिपत्र दिनांक 15.7.2014 के क्रम में पंचायत समिति में पदस्थापित अधिकारियों के वरीयता क्रम में संभलाकर अपनी उपस्थिति तत्काल अपने पैतृक विभाग में प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।

(गिरीश प्रराशर)

शासन उप सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर।
7. जिला कलक्टर, उदयपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद उदयपुर।
9. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद उदयपुर।
10. विकास अधिकारी पंचायत समिति कोटडा जिला उदयपुर।
11. श्री घीसाराम बामनियां, विकास अधिकारी पंचायत समिति कोटडा जिला उदयपुर को पालनार्थ।
12. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
13. आदेश पत्रावली।

(गिरीश प्रराशर)

शासन उप सचिव (प्रशा.1)